INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान EO & RO

REVENUE OFFICER (2nd Grade) & EXECUTIVE OFFICER (4th Grade)

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।

हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु में ॐ।।

भाग – 2

राजस्थान का भूगोल + भारत का संविधान

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RPSC Executive Officer / Revenue Officer**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**RPSC Executive Officer / Revenue Officer**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

	राजस्थान का भूगोल	
क्र. सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	प्रमुख भू – आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं	1
2.	जलवायु की विशेषताएं	12
3.	प्रमुख नदियाँ एवं झीलें	19
4.	वनसंपदा व वनस्पति	38
5.	मृदा	50
6.	कृषि (प्रमुख फसलें)	56
7.	प्रमुख उद्योग	65
8.	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल संरक्षण तकनीकें	68
9.	जनसंख्या-वृद्धि घनत्व साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ	78
10.	खनिज संपदा – धात्विक एवं अधात्विक खनिज • ऊर्जा संसाधन-परम्परागत एवं गैर परम्परागत	87
11.	जैव विविधता एवं इनका संरक्षण	108
12.	पर्यटन स्थल एवं परिपथ	113
	भारत का संविधान	
1.	संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	125
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	129
3.	संविधान संशोधन	132
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना)	137
5.	मौलिक अधिकार (मूल अधिकार)	140
6.	राज्य नीति निदेशक तत्व	148

7.	मूल कर्तव्य	151
8.	राष्ट्रपति	155
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	173
10.	भारतीय संसद	178
11.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनराविलोकन	187
12.	निर्वाचन आयोग	192
13.	नियंत्रक एवं (अनुच्छेद – 148 -151) महालेखा परीक्षक	195
14.	नीति आयोग	196
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	197
16.	लोकपाल	202
17.	केंद्रीय सूचना आयोग	204
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	207
19.	भारत में लोकतांत्रिक राजनीति	208
20.	गठबंधन सरकारें	212
21.	राष्ट्रीय एकीकरण	216

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – 1

प्रमुख भू – आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं

- राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशो में विभक्त करने का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य प्रो. वी.सी. मिश्रा ने किया।
- राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशो का निर्धारण प्रो. वी.सी. मिश्रा ने सर्वप्रथम 'राजस्थान का भूगोल' (1968) में किया।
- इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशो में विभक्त किया

1. नहरी प्रदेश
2. शुष्क प्रदेश
3. अर्द्ध शुष्क प्रदेश
4. अरावली प्रदेश
5. पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश
6. चम्बल एवं बीहड़ प्रदेश
7. दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश

- डॉ. रामलोचन सिंह (1971) ने सम्पूर्ण भारत का प्रदेशिकरण करते समय राजस्थान को दो वृहद प्रदेशो में विभाजित किया था इसके बाद चार उप-प्रदेश तथा 12 लघु प्रदेशो का वर्णन किया।
- एक अन्य विभाजन प्रो. तिवारी एवं सक्सेना ने 1994 में 'राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल' पुस्तक में प्रस्तुत किया।
- भौगोलिक रूप से राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया हैं जिनका आधार जलवायु और उच्चावच को माना गया हैं जो निम्न हैं –

1. **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश** – वह क्षेत्र जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है।
2. **अरावली पर्वतमाला** – वह क्षेत्र जहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है।
3. **पूर्वी मैदानी प्रदेश**- वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश दोमट व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
4. **दक्षिणी - पूर्वी पठारी प्रदेश** – वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती हैं, इस क्षेत्र को हाड़ौती का पठार भी कहते है।

<u>इन चारों प्रदेशों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-</u>

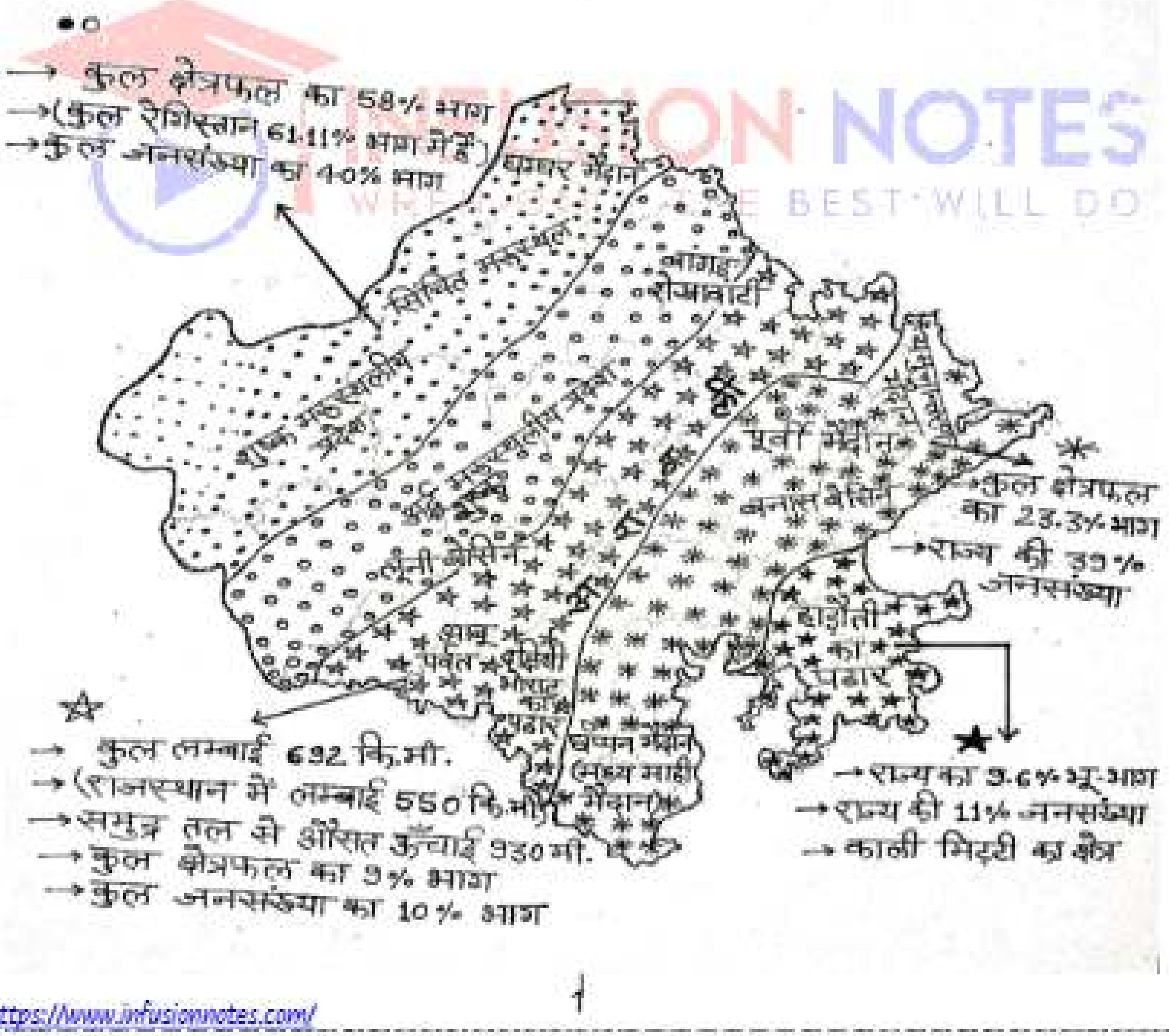

1. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश:-

- राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र टेथिस सागर का अवशेष है।
- यहाँ पर पाये जाने वाले जीवाश्म इसके प्राचीन समुद्री स्वरूप का प्रमाण है।
- इसे थार का मरुस्थल भी कहते है
- **निर्माण काल** – टर्शियरी काल एवं प्लिस्टोसिन काल

✓ **पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य परिचय :-**

- **वर्तमान में रेगिस्तान का विस्तार राज्य के कुल 61.11 प्रतिशत हिस्से पर है।**
- क्षेत्रफल की दृष्टी से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है।
- **राजस्थान में मुख्य मरुस्थल 1,75000 वर्ग km है।**
- क्षेत्रफल की दृष्टी से थार का मरुस्थल का विश्व में 17 वा स्थान है

नोट:- पहले ये क्षेत्र केवल 58 प्रतिशत भाग पर ही सीमित था, लेकिन वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के कटी – फटी होने के कारण मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

अरावली पर्वतमाला के पश्चिम मे लगभग **16 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार है।** यह जिले निम्न प्रकार है-

1. **बीकानेर संभाग** – गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर
2. **जोधपुर संभाग** – जोधपुर, बालोतरा, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर
3. **अजमेर संभाग** – नागौर, ब्यावर का कुछ क्षेत्र, डीडवाना-कुचामन
4. **जयपुर संभाग** – सीकर, झुंझुनू

✓ **पूर्ण मरुस्थल वाले जिले** – जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़।

नोट: – राज्य के **सिरोही जिले में मरुस्थल का विस्तार नहीं है अर्थात् अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में से सिरोही एक मात्र** ऐसा जिला है, जो मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में शामिल नहीं है।

- **थार का रेगिस्तान** राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग और पाकिस्तान में सिंध तथा पंजाब तक फैला है।
- यह उत्तर – **पश्चिम में 644 किमी. लम्बा और 360 किमी. चौड़ा** है।
- इस का सामान्य ढाल उत्तर – **पूर्व से दक्षिण – पश्चिम** की ओर है।
- मरुस्थल का ऊँचा उठा हुआ उत्तर –**पूर्वी भाग 'थली' तथा दक्षिण-पश्चिम भाग नीचे का 'तली'** कहलाता है।
- **इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40** प्रतिशत हिस्सा निवास करता है।
- मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है।
- **यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है** तथा इसके अलावा यह विश्व मे सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है।
- थार के मरुस्थल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ है, कि **यह विश्व का एक मात्र** ऐसा मरुस्थल है, जिसके निर्माण **मे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है।**
- थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप मे ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है।
- ग्रीष्म काल मे तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश मे न्यून वायु दाब केन्द्र हो जाता है। जो दक्षिण - पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। यह हवायें सम्पूर्ण प्रायद्वीप मे वर्षा करती है।
- भारतीय उपमहाद्वीप मे मानसून को आकर्षित करने मे इस मरुस्थल की उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
- **इस क्षेत्र मे शुष्क एवं अत्यंत विषम जलवायु पाई जाती है** और तापमान गर्मियो मे अत्यधिक (49° C तक) तथा सर्दियों मे न्यूनतम (3° C तक) रहता है।
- आँकल जीवाश्म पार्क, जलोढ़भिद्, तलछट व लिग्नाइट, खनिज तेल इत्यादि से इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि **थार का मरुस्थल 'पर्माकार्बोनिफेरस युग'** मे टेथिस सागर का हिस्सा था।

नोट:- मरुस्थलीकरण का मूल कारण :-

- मरुस्थलीकरण की समस्या सम्पूर्ण विश्व मे व्याप्त है। विश्व की कुल जनसंख्या का छठाँ हिस्सा मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है।
- सन् 1952 मे "Symposia on Indian Desert" का आयोजन किया गया जिसमें थार के मरुस्थल की उत्पत्ति पूर्व मे इसका विस्तार आदि पर विस्तृत चर्चा की गई है।

क्या होता है मरुस्थलीकरण?

- उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल मे परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण है।
- मरुस्थलीकरण प्रकृति की परिघटना है जो **जलवायवीय परिवर्तन व दोष पूर्ण भूमि उपयोग के कारण होती है।**
- यह क्रम वृद्धि परिघटना है, जिसमें मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होने से परितंत्र का अवनयन होता है।

मरुस्थलीकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण-

- भूमि का अविवेकी उपयोग
- पशुचारण
- निरंतर वर्षा मे कमी
- संसाधनों का अति दोहन
- जनसंख्या वृद्धि इत्यादि।

✓ थार का मरुस्थल **'ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका'** मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है।

✓ थार के मरुस्थल मे स्थित प्रमुख उद्यान 'राष्ट्रीय मरु उद्यान' है।

मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान

- राज्य का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है।
- इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें बाजरा, मोठ, ग्वार, इत्यादि हैं तथा प्रमुख नदी 'लूनी' है तथा प्रमुख नहर 'इंदिरा गाँधी नहर' है।

इस क्षेत्र में तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है

1. इर्ग 2. हम्माद़ा 3. रैग

- रेतीले मरुस्थल को 'इर्ग' कहा जाता है।
- पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है इसका विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर तक है।
- ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत व पत्थर दोनों पाए जाते हैं, अर्थात् मिश्रित मरुस्थल को 'रैग' कहा जाता है। यह जैसलमेर के निकट रामगढ़ व लोद्रवा क्षेत्रों में पाया जाता है।
- प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉ. ईश्वर प्रकाश ने कहा है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को मरु क्षेत्र नहीं कहकर 'रुक्ष क्षेत्र' कहा जाए क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है।
- पश्चिम मरुस्थल प्रदेश वर्षा के वितरण की दृष्टी से अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में सामिल है
- 10cm सम वर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है जो जैसलमेर से गुजरती है
- 40cm सम वर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है।
- 25cm सम वर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के मध्य से गुजरती है जो इसे दो भागो में विभक्त करती है।

1. शुष्क मरुस्थल
2. अर्द्ध शुष्क मरुस्थल

I. शुष्क मरुस्थल

✓ उत्तर - पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ वनस्पति नगण्य या नाम मात्र की पाई जाती है, तथा वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 0 से 25 से.मी. तक होती है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां बहुतायात में पायी जाती है।

✓ **शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 2 उपभागों में बाँटा गया है**

1. बालुका स्तूप युक्त प्रदेश - 58.5 %
2. बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश - 41.5 %

I. बालुका स्तूप युक्त प्रदेश :- उत्तर पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरे / टीले या टीबों का निर्माण होता है। यह राजस्थान के कुल मरुस्थल का 58.5 प्रतिशत है।

- बालुका स्तूप युक्त प्रदेश :- बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के अन्तर्गत राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा फलोदी, चूरू व पश्चिमी नागौर एवं जोधपुर जिला शामिल है।

2. बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश:- उत्तर - पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ धोरों का निर्माण नहीं होता है अर्थात् वह क्षेत्र जो चट्टानों से अच्छादित है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह राजस्थान के कुल मरुस्थल का 41.5 प्रतिशत भाग है।

- जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते है।
- राजस्थान में हम्मादा का विस्तार - जैसलमेर (लोद्रवा, पोकरण, रामगढ़)
- जोधपुर
- फलोदी
- बाड़मेर

➢ **बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश :-**

- नोट:- जोधपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाये जाते है। तथा सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं।
- बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश :- बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अन्तर्गत राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा फलोदी, चूरू व पश्चिमी नागौर एवं जोधपुर जिला शामिल है।
- **विभ्र प्रकार के बालुका स्तूप-**

I. बालुका स्तूप :-

- पवन द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है, तो बनने वाली संरचना बालुका स्तूप कहलाती है। जिन्हें टीले या टीबे भी कहा जाता है। तथा जैसलमेर की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है।

बालुका स्तूप के प्रकार :-

I. बरखान बालुका स्तूप :-

- यह अर्द्धचंद्राकार आकृति का होता है इसका विस्तार शेखावटी क्षेत्र में ज्यादा है, जिसमें सर्वाधिक चूरू जिले में है।
- यह सर्वाधिक नुकसानदायी एवं सर्वाधिक अस्थिर प्रकृति के होते है।
- सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप।
- रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक नाचना गाँव (जैसलमेर)

2. अनुप्रस्थ बालुका स्तूप :-

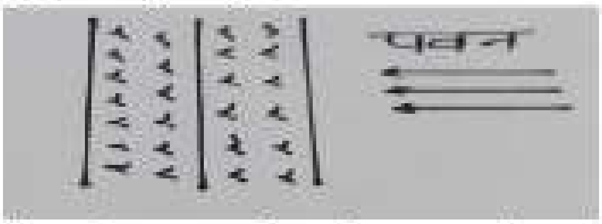

- ये हवा के लम्बवत् अर्थात् हवा के साथ समकोण पर बनने वाले स्तूप या टीले होते है।

- गर्मियों में राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापान्तर वाला जिला जैसलमेर है, तथा गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आँधियां श्रीगंगानगर जिले में चलती हैं ।
- राजस्थान में विशेष कर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे बवंडर बनते हैं, उन्हें भभूल्या कहा जाता है ।
- गर्मियों में राजस्थान के दक्षिण भागों में अरब सागरीय चक्रवात के कारण तेज हवाओं के साथ चक्रवाती वर्षा होती है ।
- राजस्थान में मानसून की शाखा सर्वप्रथम दक्षिण - पश्चिम में प्रवेश करती है, अरावली के मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम एवं अनियमित वर्षा होती है।
- राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है जबकि राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है।
- राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है।
- राजस्थान में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक जैसलमेर में एवं बाड़मेर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून की दक्षिण-पश्चिमी शाखा से होती है, राजस्थान में सितंबर तथा अक्टूबर में लौटते मानसून से भी वर्षा होती है।
- पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणे मकर रेखा पर लम्बवत् मिलती हैं इस के कारण पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्द्ध में दिन बड़ा व रात छोटी एवं ग्रीष्म ऋतु होती है तथा उत्तरी गोलार्द्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है।
- श्री गंगानगर राजस्थान में सबसे उत्तर में स्थित जिला है इसलिए 22 दिसंबर को राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी श्रीगंगानगर जिले में पड़ती हैं सर्दियों में राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू है।
- सर्दियों में सिरोही जिले के माउंट आबू का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है।
- राजस्थान में भूमध्य सागरीय (पश्चिमी) विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे राजस्थान में मावठ के नाम से जानते हैं।
- राजस्थान के दक्षिण - पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण - पूर्वी भागों में सर्दियों में प्रातः काल में तापमान की कमी के कारण "पाला" पड़ता है

निष्कर्ष - अतः वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय जलवायु में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं जैसे :- बाड़मेर में बाढ़ आना, वर्षा की तीव्रता एवं आवृत्ति में परिवर्तन, ऋतु में अचानक परिवर्तन आदि । धारणीय विकास पर्यावरण और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देकर इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

अध्याय - 3

प्रमुख नदियाँ एवं झीलें

__अपवाह तंत्र__ -

- जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती हैं, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं ।
- अपवाह तंत्र में नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं। जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिल कर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं उसी प्रकार सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ (झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब) मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी ब्रह्मपुत्र है।
- राजस्थान में कई नदियाँ हैं जैसे लूनी, माही, बनास, चंबल। इसके अलावा यहाँ पर स्थित कई झीलें भी इस अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं ।
- राजस्थान में **अरावली पर्वतमाला** स्थित है, यह राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है इसलिए **यह राज्य की नदियों का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्व में बहने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में तथा इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में** लेकर जाती हैं।
- राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभक्त करते हैं -

1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण
2. संगम के आधार पर वर्गीकरण

1. __क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को चार भागों में बाँटा गया है__ -

(अ) __उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान__- इस तंत्र में लूनी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, सागी जोजड़ी घग्घर, कांतली नदियाँ शामिल होती हैं ।

(ब) __दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान__ - इसमें पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल, व सेई नदियाँ शामिल होती हैं ।

(स) __दक्षिणी राजस्थान__ - इसमें माही, सोम, जाखम, अनास मोरेल नदियाँ शामिल होती हैं ।

(द) __दक्षिण-पूर्वी राजस्थान__ - इसमें चंबल, कुनु, पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, मेज, परवन, मेज, गंभीरी, छोटी कालीसिंध, ढील, खारी, मासी, कालीसिल, मोरेल, डाई, सोहादरा आदि नदियाँ शामिल होती हैं।

2. __संगम के आधार पर वर्गीकरण__ - इसी आधार पर नदियों को तीन भागों में बाँटा गया है

(अ) **__बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ__** :- इस अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ शामिल होती हैं । जैसे **चंबल, बनास,**

कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी, मेजाल, कोठारी, आहू, कालीसिंध तथा परवन आदि। ये नदियाँ अरावली के पूर्व में बहती हैं इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी घाट तथा कुछ का मध्यप्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। यह सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।

(ब) **अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ** - इस अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख नदियाँ हैं जैसे **माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी इत्यादि । पश्चिमी बनास, लूनी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं,** ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती हैं।

(स) **अंतः प्रवाह वाली नदियाँ** - बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाही होकर राज्य में अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है, जैसे :- **काकनी, कांतली, साबी, घग्घर, मैंथा, बांडी, रूपनगढ़ इत्यादि।**

राजस्थान राज्य की नदियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं -

राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली पर्वत की पूर्व में है ।

- **राजस्थान में चंबल तथा माही के अलावा अन्य कोई नदी बारह मासी नहीं है।**
- **राज्य में चूरू, बीकानेर व फलौदी तीन ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है ।**
- श्रीगंगानगर में पृथक् से कोई नदी नहीं है लेकिन वर्षा होने पर घग्घर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चला जाता है ।
- राज्य के 60% भू-भाग पर आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार है।
- राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है।
- **राज्य में बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है।**
- **राज्य में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में बहती हैं ।**
- **राज्य की सबसे बड़ी नदी चंबल है।**
- पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं ।
- मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं ।
- बीकानेर की जीवन रेखा कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहते हैं ।
- राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील कहलाती है ।
- भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है ।
- गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना है ।
- जमशेदपुर की जीवन रेखा स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। इस नदी पर हुंडरू जल प्रपात स्थित है ।
- आदिवासियों की या दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा माही नदी को कहा जाता है ।
- पूरे राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है।
- भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी । इस बोर्ड का नियंत्रण राजस्थान सरकार को सौंपा गया था। 1971 से इस बोर्ड को भूजल विभाग के नाम से जाना जाता है इसका कार्यालय जोधपुर में है ।
- पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है।
- चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) के निकट चूलिया जल प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी में "भीमलत प्रपात" है।
- **अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली एक मात्र नदी है चंबल,** जो कि राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा बनाती है।
- टोंक जिले की राजमहल नामक जगह पर बनास नदी, डाई नदी तथा खारी नदी के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। यहाँ शिव एवं सूर्य की संयुक्त प्रतिमा स्थित है, जो मार्तंड भैरव मंदिर या देवनारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है यहाँ नारायण सागर बाँध स्थित है।

सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे-

1. **चंबल नदी -**

इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं :-

- चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्य सीमा (राजस्थान, मध्यप्रदेश) निर्धारित करती है। इस नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे - चर्मण्वती नदी, कामधेनु नदी, बारह मासी नदी, नित्य वाहिनी नदी।
- **इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1051 किलो मीटर है। यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश अर्थात् 3 राज्यों में बहती है** यह नदी मध्यप्रदेश में लगभग 320 किलो मीटर, राजस्थान में लगभग 322 किलोमीटर, उत्तरप्रदेश में लगभग 157 किलो मीटर बहती है।

राजस्थान में अन्य खारे पानी की झीलें निम्न हैं :-

- रेवासा झील सीकर में स्थित है।
- कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया है।
- तालछापर झील चूरू में स्थित है।
- डेगाना झील नागौर में स्थित है।
- फलौदी झील, बाप झील- फलौदी जिले में स्थित है। इस झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है।
- कावोद झील जैसलमेर में स्थित है।
- पोकरण झील जैसलमेर में स्थित है।
- कुचामन झील डीडवाना-कुचामन में स्थित है।

राजस्थान में मीठे पानी की झीलें -

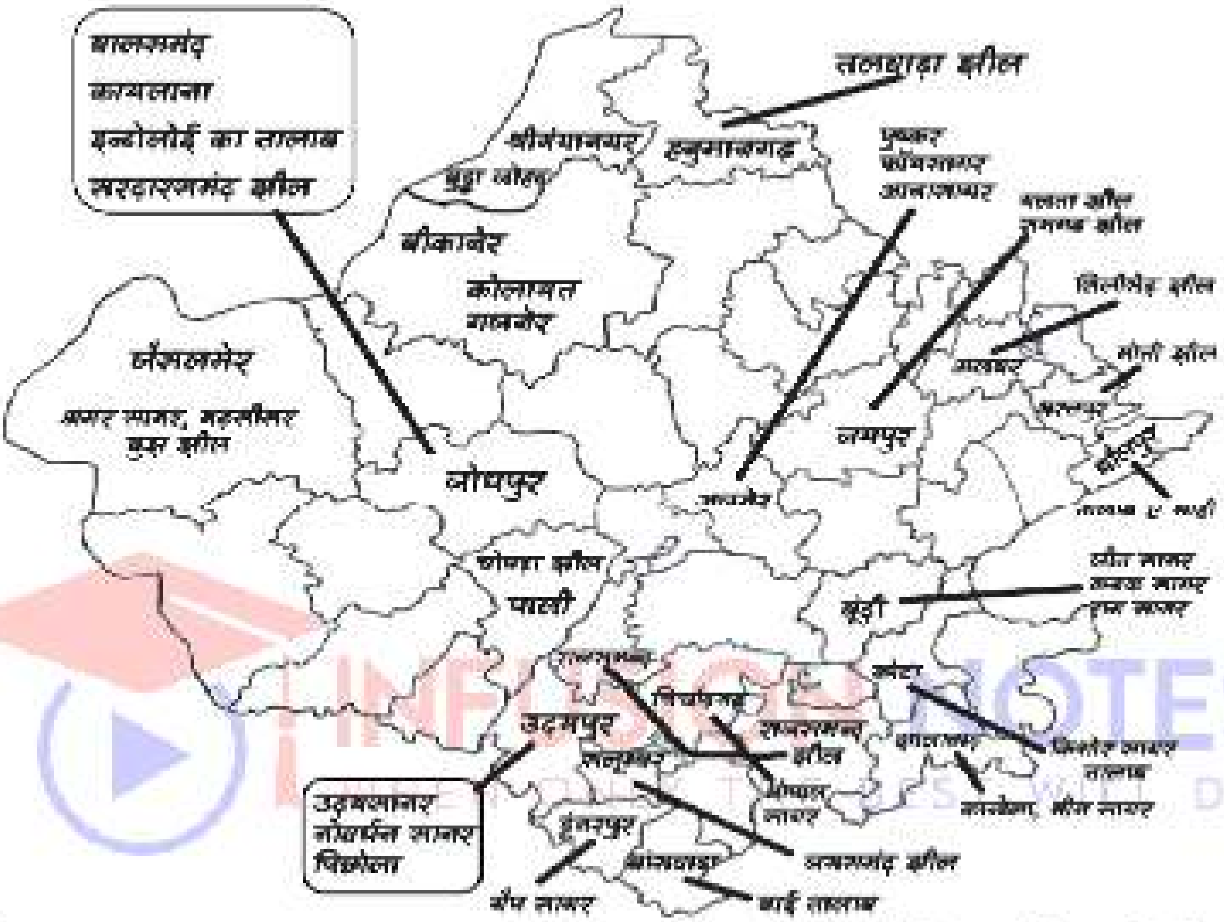

शोर्ट ट्रिक

राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के नाम-

"जयराज, अना, नडीसि कोका फतेह कर"

सूत्र		झीलें
जय	-	जयसमन्द झील
राज	-	राजसमन्द झील
अना	-	अनासागर झील
न	-	नक्की झील
डी	-	डीडवाना झील
सि	-	सिलिसेढ़ झील
को	-	कोलायत झील
का	-	कायलाना झील
फतेह	-	फतेहसागर झील

विस्तृत वर्णन -

1. पुष्कर झील -

- राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर (अजमेर शहर से 11 किलो मीटर दूर) स्थित पुष्कर झील एक प्रसिद्ध झील है।
- ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था इसलिए इस झील का नाम 'पुष्कर झील' पड़ा, लेकिन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है।
- यह राजस्थान की प्राचीन, प्राकृतिक एवं सबसे पवित्र झील है।
- इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्माजी का मंदिर स्थित है ऐसा माना जाता है कि ब्रह्माजी मंदिर में मूर्ति आचार्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का निर्माण दसवीं सदी में पंडित गोकुल चंद पारीक ने करवाया था। (नोट :- राजस्थान के बालोतरा जिले में आसोतरा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्माजी का मंदिर है।)
- इस झील को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे - कोंकण तीर्थ, तीर्थ स्थलों का मामा, 52 घाट मंदिरों की नगरी, प्रयागराज का गुरु, हिन्दुओं का पांचवा तीर्थ स्थल इत्यादि।

अध्याय – 6

कृषि (प्रमुख फसलें)

राजस्थान की कृषि
राजस्थान की कृषि मुख्यत: मानसून पर आधारित है।
राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग कृषि क्षेत्र है।

राजस्थान में कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण-

मिश्रित कृषि -
कृषि का वह रूप जिसमें पशुपालन व कृषि दोनों साथ- साथ की जाती है। मिश्रित कृषि कहलाती है।

बारानी कृषि - वह कृषि जो मानसून आधारित होती है
खड़ीन कृषि- **पलासा झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा** की जाने वाली कृषि।
पलासा झीलों में 3 तरफ खेत के मिट्टी कि दीवार बनाकर ढलान पर वर्षा का जल एकत्र कर कृषि की जाती है।
(सर्वाधिक- जैसलमेर)
म्यूओं कल्चर- **एक वर्ष में एक खेत में दो फसलों का उत्पादन।**
ओलिगो कल्चर - एक वर्ष में एक खेत में तीन फसलों का उत्पादन।
रिले क्रॉपिंग कृषि- **जब एक कृषि वर्ष में 4 बार फसलों का उत्पादन। (कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून)**
स्थानांतरित कृषि- वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है।

- **झूमिंग या स्थानांतरित कृषि** - आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में जंगल में आग लगाकर बची राख को फैलाकर वर्षा होने पर जो कृषि की जाती है। उसे **झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं।**
- यह कृषि कुछ वर्षो (प्राय: दो या तीन वर्ष) तक जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है।
- इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुन: पेड़-पौधे उग आते है। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिये नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है।
- इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरित कृषि है, जिसमें थोड़े-थोड़े समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं।
- **आदिवासियों में यह 'वालरा' नाम से जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की वालरा 'चिमाता' एवं मैदानी क्षेत्रों की वालरा 'दजिया' कहलाती है।**

शुष्क कृषि -

- **50 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में** वर्षा जल का सुनियोजित रूप से संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है।
- यह कृषि राज्यों के अधिकांश जिलों में की जाती है।

आर्द्र कृषि- 200 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाऊ कांप व काली मिट्टी पर उन्नत व व्यापारिक फसल प्राप्त की जाती है, वह आर्द्र कृषि कहलाती है।

- राज्य के बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, एवं चित्तौड़गढ़ में आर्द्र कृषि की जाती है।

सिंचित कृषि- यह कृषि राज्य के उन क्षेत्रों में कि जाती है जहाँ सिंचाई के लिए जल **नहरों, नलकूपों से** लिया जाता है। जैसे **हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में नहरों** का जल सुगमता से उपलब्ध हो जाता है।

- राज्य की लगभग 32 प्रतिशत कृषि भूमि पर वर्षा के अलावा अन्य स्रोतों से पानी देकर फसल तैयार की जाती है।
- यह 50 से 100 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। **अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि** जिले इस क्षेत्र में आते है।

2. ऋतु के आधार पर

(i) खरीफ की फसलें (स्यालू)
(अ) **खरीफ की प्रमुख फसलें :-** धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, कपास, जूट, बाजरा, ग्वार, तिल, मोठ आदि है।
(ब) **खरीफ की फसलों की बुवाई** - जून- जुलाई में और कटाई अक्टूबर महीने में की जाती है।

(ii) रबी की फसलें (उनालू)
(अ) **रबी की प्रमुख फसलें-** जौ, राई, गेहूँ, जई, सरसों, मैथी, चना, मटर आदि है।
(ब) **रबी की फसल की बुवाई** - अक्टूबर- नवंबर में तथा कटाई अप्रैल महीने में की जाती है।

(iii) **जायद की फसलें**
(अ) **जायद की प्रमुख फसलों में** तरबूज, खरबूजा, टिंडा, ककड़ी, खीरे, मिर्च आदि है।
(ब) **जायद की फसल की बुवाई** - फरवरी- मार्च में तथा कटाई जून महीने में की जाती है।

3. उपयोग के आधार पर

(i) **खाद्यान्न फसलें-** राजस्थान की खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल (धान), बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन प्रमुख है।
(ii) **वाणिज्यिक फसलें-** राजस्थान की वाणिज्यिक फसलें कपास और गन्ना है।

खाद्यान्न फसलें-

गेहूँ-
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूँ बोया जाता है।

- **गेहूँ को बोए जाने के समय तापमान कम से कम 8° से 15° से. तक** होना चाहिए तथा **पकने के समय तापमान 15° से 20° से.** तक होना चाहिए।

- 50- 100 सेमी. के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है।
- नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, महीन कांप मिट्टी व चीका (चीकनी) प्रधान मिट्टी गेहूँ उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। मिट्टी ph मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए।
- राजस्थान में साधारण गेहूँ (ट्रीटिकम) एवं मैक्रोनी गेहूँ (लाल गेहूँ) सर्वाधिक पैदा होता है।
- गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी- पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर बाँसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर नागौर सीकर, झुंझुनू श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले हैं।
- राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक गेहूँ श्रीगंगानगर (अन्न का कटोरा) जिले में उत्पादित होता है इसलिए श्रीगंगानगर जिला अन्न का भण्डार कहलाता है।
- राजस्थान में दुर्गापुरा-65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कार्निया-65, लाल बहादुर, चम्बल-65, राजस्थान-3077 आदि किस्में बोई जाती है।
  गेहूँ में छाछ्या, करण्वा, रतुआ, टुन्डू रोग पाए जाते है।
  इण्डिया मिक्स- गेहूँ, मक्का व सोयाबीन का मिश्रित आटा।

जौ -

राजस्थान में जौ उत्पादन क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर है। भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग राजस्थान में पैदा होता है। जौ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है तथा रबी की फसल है।

- जौ की बुवाई के समय लगभग 10°- 15° सें. तापमान की आवश्यकता है तथा काटते समय 20° से 22° सेन्टीग्रेड तापमान होना चाहिए।
- जौ के लिए शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टी (दोमट मिट्टी) उपयुक्त रहती है।
- जौ की प्रमुख किस्में ज्योति, राजकिरण, RD - 2035 2508, 57, मोल्वा आदि है।
- राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादन जिले श्री गंगानगर (सर्वाधिक), जयपुर, सीकर , भीलवाड़ा व अजमेर है।
- जौ का उपयोग मिस्सी रोटी बनाने, मधुमेह रोगी के उपचार, शराब व बीयर बनाने, माल्ट उद्योग में किया जाता है।

बाजरा -

- विश्व का सर्वाधिक बाजरा भारत में पैदा होता है।
- बाजरे के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है।
- राजस्थान देश का लगभग एक तिहाई बाजरा उत्पादित करता है।
- बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खरीफ की फसल है।
- बाजरा के लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है।
- बाजरे की बुवाई मई, जून या जुलाई माह में होती है।
- बाजरे की बुवाई करते समय तापमान 25° से 35° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।
- बाजरे के लिए वर्षा 40 से 50 सेमी. उपयुक्त रहती है।
- बाजरा बलुई, बंजर, मरुस्थलीय तथा अर्द्ध कांपीय मिट्टी में पैदा होता है ।
- बाजरा की प्रमुख किस्में ICTP- 8203, WCC- 75, राजस्थान- 171,RHB- 30,RHB- 58,RHB- 911, राजस्थान बाजरा चरी-2 है।
- बाजरा को जोगिया, ग्रीन ईयर, कण्डुआ, सूखा रोग नुकसान पहुँचाते हैं ।
- केन्द्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्टोरेट को क्रमशः पूना व चेन्नई से जोधपुर व जयपुर स्थानांतरित किया गया है। दो नए केन्द्र बीकानेर एवं जोधपुर में स्थापित किए गए हैं।
- बाजरा अनुसंधान केंद्र - मंडोर (जोधपुर) गुढ़ामालानी (बाड़मेर)

मक्का-

- भारत में कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादित होता है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है।
- उष्ण एवं आर्द्र जलवायु मक्का के उपयुक्त रहती है। मक्का की बुवाई करते समय औसत तापमान 21° से 27° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।
- मक्का के लिए 50 से 80 सेमी. तक वर्षा की आवश्यकता रहती है।
- मक्का के लिए नाइट्रोजन व जीवांशयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है।
- मक्का की प्रमुख किस्में माही कंचन, माही धवल, सविता (संकर किस्म), नवजोत, गंगा-2, गंगा-11, अगेती-76, किरण आदि है।
- मक्का की हरी पत्तियों से साईलेज चारा बनाया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मक्के के पौधे का 80 प्रतिशत विकास रात के समय होता है।
- बाँसवाड़ा जिले के बोरवट गाँव में कृषि अनुसंधान केन्द्र संचालित है। इस केन्द्र ने मक्का की संयुक्त किस्में माही कंचन एवं माही धवल विकसित की है।
- मक्का के दानों से मांडी (स्टार्च), ग्लूकोज तथा एल्कोहल तैयार किया जाता है। मक्का मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न है।

चावल-

- चावल उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20° से 27° सेन्टीग्रेड तक तापमान एवं 125 से 200 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है।
- चावल के लिए कांपीय, दोमट, चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है।
- वर्तमान में राजस्थान में जापानी पद्धति से चावल की खेती की जाती है।
- चावल की प्रमुख किस्में कावेरी, जया, परमल, चम्बल, माहीसुगंधा, बासमती, NP-130,BK-190, T& 29, सफेदा एवं

- **प्रमुख जनजातियाँ**

कंजर :-

- मुख्यतया हाड़ौती क्षेत्र में।
- मुख्य व्यवसाय : चोरी करना।
- चोरी करने से पूर्व देवता से आशीर्वाद मांगते हैं, जिसे वे 'पाती (पाती) मांगना' कहते हैं।
- जोगणिया माता (चित्तौड़गढ़) : कंजरों की कुलदेवी।
- चौथ माता (चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर)
- रक्त दंजी माता : बूंदी।
- हनुमान जी : आराध्य देव।
- हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं।
- मरणासन्न व्यक्ति के मुँह में शराब डाली जाती है।
- शव को दफनाते हैं।
- इनके मुखिया को 'पटेल' कहते हैं।
- मोर का मांस खाते हैं।
- इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की अनिवार्य होती है।
- **महिलाएँ चकरी नृत्य करती हैं। नृत्य करते समय विशेष प्रकार का पायजामा पहनते हैं, जिसे 'खूसनी' कहते हैं।**

कथौड़ी :-

- उदयपुर जिले में अधिक संख्या में।
- मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं।
- खैर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं, इसलिए कथौड़ी कहते हैं।
- कथौड़ी दूध नहीं पीते हैं।
- कथौड़ी शराब पीते हैं एवं महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर बैठकर पीती हैं।
- महिलाएँ गहने नहीं पहनती, गोदना गुदवाती हैं।
- **कथौड़ी महिला द्वारा पहने जाने वाली साड़ी 'फड़का' कहलाती है।**
- इनका मुखिया 'नायक' कहलाता है।
- **प्रमुख कवित्ता** : आराध्य देवता डूंगर देव, बाघ देव, भारी माता, कंसारी माता।
- **कथौड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है,**
- इनको 'मनरेगा' में विशेष लाभ दिया जाता है पूरे परिवार को 250 दिन का रोजगार दिया जाता है।
- **कथौड़ी पुरुषों द्वारा 'मावलिया नृत्य'** नवरात्रा के दिनों में किया जाता है और महिलाओं द्वारा होली पर होली नृत्य करते हैं।
- **कथौड़ी झोंपड़े को 'खोलरा' कहते हैं।**

डामोर :-

- मुख्यत : उदयपुर, डूंगरपुर, **बाँसवाड़ा जिले ।**
- **सर्वाधिक जनसंख्या** : डूंगरपुर
- डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति को डामरिया क्षेत्र कहते हैं।
- **एकमात्र जनजाति जो वनाश्रित नहीं है।**
- कृषि एवं पशुपालन करते हैं।
- डामोर अपनी उत्पत्ति 'राजपूतों' से मानते हैं।
- डामोर पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं।
- होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम 'चाड़िया' कहलाता है।
- मुखिया को मुखी कहते हैं।
- डामोर **बहुविवाह** करते हैं।
- विवाह का आधार वधु मूल्य कहते हैं।

सांसी :

- **भरतपुर जिले में अधिक संख्या में है।**
- इनकी उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है।
- इनकी दो उपजातियाँ हैं : बीजा एवं माला।
- सांसी विधवा विवाह नहीं करते हैं।
- **'भाखर बावजी' कुलदेवता** की कसम खाने के बाद ये झूठ नहीं बोलते हैं।
- कसम खाते समय यह एक हाथ में कुल्हाड़ी एवं दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं।
- (भाखर बावजी के मंदिर में) लड़की को शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे 'कूकड़ी' रस्म कहते हैं।
- सिकोतरी माता इनकी प्रमुख आराध्य देवी है।
- ये हरिजनों को अपना मुखिया मानते हैं व अपने विवादों का निपटारा भी इन्हीं से करवाते हैं।

गरासिया :

- सिरोही : आबू, पिण्डवाड़ा तहसील में।
- गरासिया महिलाएँ सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **प्रेम विवाह को अधिक तवज्जो दी जाती है।**

विवाह के प्रकार : मोरबंधिया विवाह (परम्परागत)

- पहरावना विवाह
- ताणना विवाह (पैसे देकर या छीनकर)
- मेलबो विवाह (बाल विवाह के बाद बड़ी होने पर लड़की को ससुराल छोड़कर आना)।
- **सेवणा** - गरासियों में प्रचलित इस विवाह में स्त्री प्रेमी के साथ भागकर विवाह करती है।
- **खेवणा** - गरासिया जनजाति में विवाहित महिला का अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना खेवणा कहलाता है।
- सेवा विवाह (घर जंवाई)।
- **गरासिये के मुखिया को सहलोत या पालवी कहते हैं।**
- सफेद पशु एवं मोर को पवित्र मानते हैं।
- **नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं।**
- मृत्यु के 12वें दिन : अंतिम संस्कार।
- गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है।

गरासियों की जातीय पंचायत के प्रकार :

- मोटी नियात / ऊँचली नियात : उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें 'बाबोर हाइया' कहते हैं।
- नेनकी नियात : इसमें शामिल लोगों को माडेरिया कहा जाता है।
- निचली नियात - निम्न श्रेणी के लोग भाग लेते हैं ।

- जब कोई गरासिया पुरुष भील महिला से शादी कर लेता है तो उसे भील गरासिया कहते हैं और जब कोई गरासिया महिला भील पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे गमेती गरासिया कहते हैं।
- हुरें या मोगी: मृतकों की याद में बनाए जाने वाले स्मारक।
- हेलरु : गरासियों की सहकारी संस्था।

गरासियों के प्रमुख मेले :

- **सियावा गाँव का मेला** : गणगौर, इस मेले में प्रेम विवाह अधिक होते हैं।
- **कोटेश्वर मेला** : यह अम्बा जी में भरता है।
- **चेतर-विचितर मेला** : देलवाड़ा।
- **अनाज भंडार की कोठियां** : सोहरी।

सहरिया :

- **राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति (भारत सरकार द्वारा घोषित)।**
- **बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद जिलों में सर्वाधिक संख्या।**
- **सहरियों का मुखिया : कोतवाल**
- बड़े गाँव को 'सहराना' कहा जाता है।
- छोटी बस्ती को 'सहरोल' कहा जाता है।
- गाँव के बीच में स्थित सामुदायिक केन्द्र टालिया/हथाई कहलाता है।
- सहरियों की पंचायती व्यवस्था त्रि-स्तरीय होती है :
- **पंचताई** : पाँच गाँवों की पंचायती।
- **एकदसिया** : 11 गाँवों की पंचायती।
- **चौरासिया** : 84 गाँवों की पंचायती।
- चौरासी गाँवों की सभा सीताबाड़ी के वाल्मिकी मंदिर में होती है।
- सहरिया वाल्मिकी को अपना आदि पुरुष मानते हैं।
- **सहरियों की कुलदेवी कोडिया माता।**
- तेजाजी एवं भैरव की भी पूजा करते हैं ।
- दीपावली पर हिंडा गाते हैं।
- होली के अवसर पर लट्ठमार होली खेलते हैं। **राई नृत्य किया जाता है।**
- **मकर सक्रान्ति के अवसर पर लकड़ी के डण्डों से लेंगी खेला जाता है।**
- वर्षा ऋतु में आल्हा एवं लहंगी गीत गाया जाता है।
- **कपिलधारा का मेला** : कार्तिक पूर्णिमा
- **सीताबाड़ी का मेला** : ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसे सहरियों का कुम्भ भी कहते हैं।
- सहरिया महिलाएँ गोदना गुदवाती हैं परंतु पुरुषों का मनाही है।
- **धारी संस्कार** : मृतक के तीसरे दिन उसकी अस्थियों एवं राख को एक बर्तन से ढककर छोड़ दिया जाता है, अगले दिन उस जगह जैसी आकृति बनी होती है, यह समझा जाता है कि व्यक्ति का अगला जन्म उसी आकृति के अनुसार होगा।
- सहरिया पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। उसे 'गोपना' कहते हैं।
- अनाज एवं घरेलू सामान रखने की छोटी कोठी : कुसिला
- अनाज व घरेलू सामान रखने की बड़ी कोठी : भंडेरी

भील :

- **राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति ।**
- भील शब्द की उत्पत्ति 'बिल' शब्द से हुई है जिसका अर्थ है तीर-कमान।
- भीलों का मुख्य अस्त्र तीर कमान ही है।
- **भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।**
- **उदयपुर जिले में सर्वाधिक संकेन्द्रण।**
- **भील 'टोटम' को अपना कुलदेवता मानते हैं।**
- **पेड़-पौधों को 'टोटम' का प्रतीक** माना जाता है।
- केसरिया नाथजी (ऋषभ देव) की केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं।
- **'फाइरे-फाइरे' भीलों का रणघोष है।**
- **हाथीवेंडो विवाह : पेड़-पौधों को साक्षी** मानकर किया जाने वाला विवाह। (हरज एवं लाडी)
- मंगेरिया त्योहार के अवसर पर शादी की जाती है।
- **भील बाल-विवाह** नहीं करते हैं।
- **तलाक को 'छेड़ा फाड़ना'** कहा जाता है।
- यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो उस पुरुष को पूर्व पति को झगड़ा राशि देनी पड़ती है।
- विवाह के समय दूल्हे द्वारा अपने ससुराल में भराड़ी माता का मंदिर बनाना होता है।
- **भराड़ी माता को विवाह की देवी कहते हैं।**
- भील पुरुषों द्वारा हाथीमना नृत्य किया जाता है।
- **होली के दूसरे दिन गैर नृत्य किया जाता है।**
- **गवरी भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है** जो रक्षाबन्धन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है।
- हेलमो : भीलों द्वारा मिलजुल कर किया जाने वाला कार्य।

भीलों के प्रमुख मेले :

- **घोटिया अम्बा मेला : बाँसवाड़ा।**
- **बेणेश्वर मेला** : डूंगरपुर (माघ पूर्णिमा) **नवाटापुरा गाँव में।**
- भील स्थानान्तरित कृषि करते हैं। यह दो प्रकार की होती
- **दजिया** :- मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि।
- **चिमाता** :- पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि ।
- **भीलो का मुखिया 'गमेती' कहलाता है।**
- **मेवाड़ के राजचिन्ह में** भील का चित्र बना हुआ है।
- मेवाड़ के महाराणा के राजतिलक में भी भील सरदार भूमिका निभाता था।
- **पाखरिया** : किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला।

भारतीय संविधान

अध्याय – 1

संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1. 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
2. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
3. 1833 का चार्टर अधिनियम
4. 1853 का चार्टर अधिनियम

a. भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
b. महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे ।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये ।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता था ।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया ।
- **बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।**
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश '**एलिजा इम्पे**' थे।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- **इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।**
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया ।
- **लार्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।**

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के शृंखला में अधिनियम अंतिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया ।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।
- **इसने पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया ।**

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

- 1858 का भारत शासन अधिनियम ।
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद् अधिनियम ।
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया ।
- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया ।
- **गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया ।**
- **लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने ।**
- एक नए पद '**भारत के राज्य सचिव**' का सृजन किया गया।

1861 के भारत परिषद् अधिनियम

- 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया ।
- इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की ।
- बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।

1892 का अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ।
- इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया।

1909 के अधिनियम

- **इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है ।**
- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई ।

https://www.infusionnotes.com/

- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चाओं का दायरा बढ़ाया ।
- **सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के **प्रथम भारतीय सदस्य** बने ।
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर **मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान** किया।

भारत शासन अधिनियम 1919

- इसने प्रांतीय विषयों को पुन दो भागों में विभाजित किया- **हस्तान्तरित और आरक्षित ।**
- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की । प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य आम जनता द्वारा सीधे मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनने से है ।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया ।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- **इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां थी।**
- **इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की**
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच **तीन सूचियों संघीय सूची** (59 विषय), **राज्य सूची** (54 विषय), और **समवर्ती सूची** (दोनों के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- संघ सूची – ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र कानून बना सकता है ।
- राज्य सूची –ऐसे विषय जिनपर केवल राज्य कानून बना सकते हैं ।
- समवर्ती सूची –ऐसे विषय जिनपर केन्द्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं ।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया ।
- **इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ।**
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार

जवाहर लाल नेहरू - स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल - गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई - उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम - श्रम
सरदार बलदेव सिंह - रक्षा
सी. एच. भाभा - कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां - वित्त
अब्दुर रब निश्तार - डाक एवं वायु
आसफ अली - रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी - शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर - वाणिज्य
गजनफर अली खान - स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल - विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	- प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलो
सरदार वल्लभभाई पटेल	- गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	- खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	- शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	- रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	- वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	- विधि
जगजीवन राम	- श्रम
सरदार बलदेव सिंह	- रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	- स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	- वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	- संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	- उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	- कार्य, खान एवं ऊर्जा

https://www.infusionnotes.com/

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश शासक पर निर्भर (उपनिवेश) था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर भारत इससे मुक्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा।
- संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन व्याप्त शंकाओं को दूर करते हुए 1949 में पंडित नेहरू ने कहा " हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है।
- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, "हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, हम अपनी जरूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी, उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है।"
- प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता।
- प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।"
- प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला ।

अध्याय - 5

मौलिक अधिकार (मूल अधिकार)

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित** प्रावधान है। **मौलिक अधिकारों की** अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं ।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं ।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधि के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय मात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।

(5) ये राज्य के प्राधिकार को कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढांचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं है।

मौलिक अधिकारों की आलोचना :-

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।
(3) मौलिक अधिकार आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं करते।
(4) **आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।**
Note - अनुच्छेद - 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।
(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।
(6) **संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकती है।**
(7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रक्रिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii) स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी (iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाएं जो राज्य के लिए कार्य करती हो	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि - संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित (ii) अस्थाई विधि - जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करे । (iii) कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv) ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

(1) **समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)**

(1) **विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-**
संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है । **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है ।** विधी के समक्ष समता से आशय है, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नहीं होगा।
विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:-

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नहीं होगा ।
(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।
(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।
विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद हैं।
(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।
(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता है तो उसे दोषी नहीं माना जायेगा ।
(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।
(vi) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे - UNO, ADB, IBRD, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।
विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन है ।
विधियों के सामान संरक्षण से आशय है । "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"
इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नहीं होता ।
भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओं के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण है ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती है ।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा ।
- इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नानघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नहीं जायेगा।

अध्याय - 9

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि **प्रधानमंत्री वास्तविक राज्यप्रमुख की भूमिका में होता हैं।** इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता हैं। **जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता हैं।** परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती हैं।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता हैं:
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
- अंतरिक्ष विभाग आदि।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई हैं। **अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।** हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।**
  - लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता हैं।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता हैं:

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती हैं, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता हैं और उनमें बदलाव भी कर सकता हैं।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता हैं तो वह उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता हैं।
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता हैं और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता हैं।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता हैं और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता हैं।
- **प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता हैं।**

राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता हैं। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावाना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता हैं।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता हैं। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता हैं।
- **प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता हैं।**

संसद के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता हैं। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह देता हैं।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता हैं।
- वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता हैं।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता हैं।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता हैं।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता हैं।
- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगो से मिलता हैं और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता हैं। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता हैं।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता हैं।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- *संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है । हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए ।*
- *ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं । यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए ।*
- *उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है । लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य न हो । ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है । उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा , डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे ।*

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

- *सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है । आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो । ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है । इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं*

लाभ	हानि
समय पर निर्णय ।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं ।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है ।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते ।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं ।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- *सामान्यतः, यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं । इसका कारण एक खंडित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है । कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय, अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं । हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है । ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है ।*
- ***केंद्रीय मंत्रिपरिषद्***
  अनुच्छेद 74 और 75, केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं । ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- *राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा । राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा । तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है । किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा ।*
- ***मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है ।***
- *राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा । प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता है । एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो । संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक मंत्री बना रह सकता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद प्राप्त करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है ।*
- ***प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी ।** इस उपबंध का समावेश 91 वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया है।*
- *संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा । इस प्रावधान को भी, 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है ।*
- ***मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।***
- ***मंत्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।***
- *राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी ।*
- *मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा जब तक संसद भत्ते का निर्धारण नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।*

6. मानवाधिकारों से संबंधित शोध पत्रों को जारी करना तथा लागू करवाना।
7. मानवाधिकारों को आम जनता में लोकप्रिय बनाना तथा जन जागरूकता लाना।
8. वे सभी गैर सरकारी संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही हैं, को प्रोत्साहित करना।
9. उन सभी कदमों को उठाना जिसके तहत मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

अध्याय – 19

भारत में लोकतांत्रिक राजनीति

राजनीतिक दल

परिभाषा:

राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे **बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश** करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में चार प्रकार के राज नीतिक दल होते हैं।

प्रतिक्रियावादी – ऐसे दल जो पुरानी सामाजिक –आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं।

सुधारवादी – ऐसे दल जिनका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना हो।

उदारवादी दल – ऐसे दल जिनका लक्ष्य वर्तमान संस्थाओं में सुधार करना हो।

रूढ़िवादी- ऐसे दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हो।

राजनीतिक दलों की भूमिका/कार्य

दलीय संगठन को सुदृढ़ बनाना:

प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए गांव नगर व तहसील जनपद और प्रांतीय स्तर पर अपनी इकाईयों की स्थापना करता है। जिन पर राष्ट्रीय स्तर की इकाई द्वारा नियंत्रण रखा जाता है।

नीति निर्धारित करना:

नीति निर्धारित करते समय वैदेशिक सम्बन्धों, आन्तरिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था शिक्षा, रोजगार आदि राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित बातों का ध्यान रखा जाता है।

नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना

सामान्य निर्वाचन के समय अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके यह आश्वासन देते हैं कि सत्ता में आने पर इन नीतियों एवं कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।

निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का चयन: राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य निर्वाचन हेतु योग्य प्रत्याशियों का चयन करना है, जो निर्वाचन में विजयी हो सके।

शासन का संचालन एवं पथ प्रदर्शन करना

बहुमत प्राप्त दल जहां अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है, वहीं विपक्षी दल शासन की जनहित विरोधी दृष्टिकोण और कार्यों की आलोचना करके शासन को नियंत्रित करते हैं।

जनमत की परख

किस विधेयक किस कानून, किस आदेश और किस निर्णय के विषय में जनता का क्या मत है, इसकी निरंतर

जांच करते रहना राजनीतिक दलों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

शासन और जनता के मध्य एक कड़ी

राजनीतिक दल ही शासन की नीतियों से जनता को अवगत कराते हैं और शासकीय नीतियों और जनता की समस्याओं से सम्बंधित मांगों को शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना

राजनीतिक दल ही सार्वजनिक जीवन की समस्याओं और उनके विभिन्न पहलुओं से जनता को अवगत कराके उसमें जनता की रुचि उत्पन्न करते हैं तथा उनके समाधान के सम्भावित उपाय जनता के समक्ष प्रस्तुत करके जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं।

संकटकालीन कार्य

- युद्ध, बाढ़, भूकम्प, महामारी आदि संकट कालीन स्थितियों में शासन एवं जनता को सहयोग देना।
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका
- राजनीतिक दल बहु हित समूह होते जो समाज के विविध हितों का प्रतिनिधित्व या हित समूहन का कार्य कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत का निर्माण कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- जनता के राजनीतिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक अभिजनों के भर्ती के कार्य को सम्पन्न करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।
- शासन संचालन का कार्य, विपक्षी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण का कार्य भी करते हैं और देश में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं।
- किसी समाज में मूल्यों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन हेतु नियोजित प्रयास करते हैं, और इस रूप में विकास और आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- जनता और शासन के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं तथा दोनों के मध्य निरंतर संपर्क बनाये रखने में तथा दो तरफा संचार में सहायक होते हैं।
- राजनीतिक प्रक्रिया को सरल एवं सामंजस्यपूर्ण बनाकर राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हैं।
- निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आधार हैं और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के निर्माण एवं संचालन में इनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए इसे उदारवादी संसदीय लोकतंत्र का पहिया कहा जाता है।

चुनौतियाँ

- अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र विद्यमान नहीं हैं,
- वंशवाद एवं परिवारवाद का वर्चस्व।
- पैसा एवं अपराधी तत्वों की घुसपैठ जिसने इनकी विश्वसनीयता को कम किया है।
- पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की कार्य स्थिति अर्थात् सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर प्राय समाप्त हो गया है।

दलीय प्रणाली के प्रकार

एकदलीय	बहुदलीय	द्विदलीय
उदा. चीन	फ्रांस	अमेरिका, ब्रिटेन

एक दलीय प्रणाली

एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। उसी का शासन पर नियंत्रण होता है, अन्य किसी विचार एवं दर्शन के आधार पर राजनीतिक दल गठित नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत एक दलीय व्यवस्था जनतांत्रिक न होकर सर्वाधिकारी एवं अलोकतांत्रिक होती है।

द्विदलीय प्रणाली

यह प्रणाली जहां मुख्यत दो ही दलों का अस्तित्व होता है। छोटे छोटे राजनीतिक दल हो सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनका विशेष महत्व नहीं होता ।

बहुदलीय प्रणाली

जिस देश में बहुत से राजनीतिक दल हो दो से अधिक दलों के मिलने से सरकार गठित होती है।

भारत में न तो एक दलीय प्रणाली रही है, न द्विदलीय और न ही बहुदलीय। भारत में बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। राष्ट्रीय दलों के अलावा भारत में क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव है।

भारत में दलीय व्यवस्था के गुण

बहुदलीय प्रणाली

भारत में विश्व में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल हैं इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं वामपंथी, दक्षिणपंथी, साम्प्रदायिक, गैर साम्प्रदायिक परिणामस्वरूप त्रिशुंक संसद, त्रिशुंक विधानसभा तथा साझा सरकार का गठन एक सामान्य बात है।

एक दलीय व्यवस्था

भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, अतः श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों ने इसे एक दलीय शासन कहा।

स्पष्ट विचारधारा का अभाव

भाजपा तथा साम्यवादी दलों को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं। राजनीति विचाराधारा की जगह मुद्दों पर आधारित हो गई है और फलप्रदता ने सिद्धान्तों का स्थान ले लिया है।

व्यक्तित्व का महिमामण्डन

कई बार दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है जो दल तथा उसकी विचारधारा से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है दल अपने घोषणाओं की बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। उदा. कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी नरेन्द्र मोदी